

कार्यालय कलेक्टर जिला – कोरवा (छ.ग.) एवं पदेन उप सचिव,
छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

३३३५ :-
क्र./ /भू-अर्जन/ 201912050400014 अ 82/ कोरवा, दिनांक 14/03/23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्वरथापन में उद्यित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपवंधों के अनुसार सभी संवंधित व्यवितयों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के अंतर्गत दी गई शवितयों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

| भूमि का प्रकार | | | | | धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण |
|----------------|-------|-----------------|-------|--------------------|--|--|
| जिला | तहसील | ग्राम / प.ह.नं. | ख.नं. | क्षेत्रफल (हे.में) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| कोरवा | करतला | कछार 34 | 159 | 0.065 | कार्यपालन अगियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग विलासपुर | मदवानी-कछार – तराईमार-कुदमुरा मार्ग में छिंदई नाला पर पुल के पहुंच मार्ग निर्माण |
| योग | | | 1 | 0.065 | | |

2. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में से कोई भी हितवद्ध व्यवित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाधात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को ख्यय अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यवित के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

- प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
- प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाधात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाधात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
- प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोरवा जिला कोरवा के पुनर्वास और पुनर्वरथापन के प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


(संजीव कुमार झा)
कलेक्टर
जिला कोरवा
एवं पदेन उप सचिव
छ.ग.शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
विभाग

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू अर्जन अधिकारी
कोरवा, जिला-कोरवा